राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर, बरेली

;महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध
(नैक द्वारा मूल्यांकित)

संक्षिप्त परिचय

महाविद्यालय बरेली जनपद के तहसील मुख्यालय फरीदपुर से लगभग तीन कि. मी. पूर्व में बरेली–शाहजहाँपुर राजमार्ग पर स्थित हैं। तहसील में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थियों को यहाँ से दूर जाना पड़ता था, जहाँ गरीब और निर्बल वर्ग के विद्यार्थियों का जाना संभव नहीं हो पाता था, जिसके कारण वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस समस्या के समाधान की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी, जिस पर तत्कालीन सांसद मा. राजवीर सिंह ने ध्यान दिया तथा अपने प्रयासों से शासन द्वारा इस कस्बे में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करवा कर अविस्मरणीय कार्य किया। उ. प्र. शासन ने राजाज्ञा सं. 2717/ सत्तर– 5–98–40 (159) /97 दिनांक 17.10.1998 द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की।

महाविद्यालय के पास कुल 11.25 एकड़ भूमि है। जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनवाया गया समस्त सुविधाओं से युक्त आकर्षक भव्य भवन एवं विशाल क्रीड़ांगन है। इस भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. कल्याण सिंह द्वारा सन् 1998 में किया गया तथा इसका लोकार्पण 24 मई 1999 को तत्कालीन उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री मा. नरेन्द्र सिंह गौर ने किया। महाविद्यालय में बी. ए. कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। बी.ए.में पाँच सेक्शन स्वीकृत है। बी. ए. प्रथम वर्ष में बढ़ी हुई सीटों के साथ (पाँच सेक्शन X80 सीटे) कुल 400 सीटें स्वीकृत है। शासन द्वारा इस महाविद्यालय में प्राचार्य का 01, प्राध्यापक के 09, तृतीय श्रेणी के 02 तथा चतुर्थ श्रेणी के 05 पद सृजित है। वर्ष 2007 में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। वर्ष 2008 में महाविद्यालय को यू. जी. सी. नई दिल्ली से सेक्शन 2 (f) व 12 (b)दर्जा प्राप्त हुआ। सितम्बर 2012 में महाविद्यालय का NAAC मूल्यांकन कराया गया है। बी. एस.सी., बी. कॉम तथा एम. ए. की कक्षाएं सत्र 2019–20 से महाविद्यालय में संचालित है।

महाविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं के लिए अध्ययन की सुविधा है–

कला संकाय (त्रिवर्षीय पाठयक्रम)

बी. ए. प्रथम वर्ष –

(क) अनिवार्य विषय– हिन्दी भाषा और सामान्य अंग्रेजी में से कोई एक विषय लेना अनिवार्य है।

(ख) वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित में से कोई तीन विषय लिए जा सकते है, परन्तु तीन साहित्यिक विषय एक साथ नहीं लिए जा सकते–

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. संस्कृत
4. समाज शास्त्र
5. अर्थशास्त्र
6. राजनीति शास्त्र
7 गृह विज्ञान (केवल छात्राओं के लिए)
8. शारीरिक शिक्षा

(क) क्वालीफाइंग कोर्स–स्नातक में किसी एक वर्ष में पर्यावरण विज्ञान में उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। अतः बी. ए. प्रथम वर्ष में ही इस विषय की परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने सुझाव दिया जाता है। बी. ए.प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने पर बी. ए. तृतीय वर्ष में भी परीक्षा दी जा सकती है।
(घ) अनिवार्य विषय– खेल एवं शारीरिक शिक्षा– इसमें एक प्रश्न पत्र तथा प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। जिसे प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण करना होगा, इसके अंक जोड़े नही जायेंगे।
(ड़) अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र विषय में से अधिकतम दो विषय का चयन कर सकते हैं।

2. बी. ए. द्वितीय वर्ष – मुख्य विषय– जो बी. ए. प्रथम वर्ष में लिए गये थे।

अनिवार्य विषय · खेल एवं शारीरिक शिक्षा– इसकी परीक्षा बी. ए. प्रथम वर्ष की ही भाँति होगी जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा लेकिन इसके अंक परिणाम में जुड़ेंगे नहीं।

3. बी. ए. तृतीय वर्ष · बी. ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में भाषा को छोड़कर लिए गये तीन वैकल्पिक विषयों में से कोई दो विषय लिये जा सकते हैं। पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा बी. ए. प्रथम वर्ष में अगर उत्तीर्ण नहीं की है तो इस वर्ष उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।.

अनिवार्य विषय · खेल एवं शारीरिक शिक्षा (बी. ए. द्वितीय वर्ष की भाँति)

4. एम.ए. प्रथम वर्ष – हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र

5. एम.ए. द्वितीय वर्ष– हिन्दी, अग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र

पुस्तकालय, ई–लाइब्रेरी एवं वाचनालय :–

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पुस्तकालय एवं वाचनालय से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त है। वर्तमान में पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकें है तथा वाचनालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अनेक समाचार पत्र–पत्रिकायें व शोध–पत्रिकायें छात्रों के अध्ययनार्थ उपलब्ध है। ई–लाइब्रेरी में **DELNET** एवं **N-LIST** की ऑनलाइन सेवा छात्रों एवं शिक्षकों हेतु उपलब्ध ळें

क्रीड़ा /राष्ट्रीय सेवा योजना/रोवर्स–रेन्जर्स एवं एन.सी.सीः–

विद्यार्थियों के खेल–कूद के लिये महाविद्यालय में क्रीड़ा–सामग्री उपलब्ध है। निरन्तर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रतिवर्ष क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये जाते है। विद्यार्थी अन्तर्महाविद्यालयी एवं अन्तर्विश्वविद्यालयी क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकते हैं। सन् 2003–2004 से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है। महाविद्यालय में रोवर्स–रेन्जर्स तथा एन.सी.सी यूनिट संचालित है।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषदः–

महाविद्यालय में विभागीय, महाविद्यालयी, अन्तर्महाविद्यालयी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किये जाते हैं। परिषद के अन्तर्गत महविद्यालय में युवा महोत्सव सामान्य ज्ञान, क्विज, वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये जाते है।

कम्प्यूटर विभागः–

महाविद्यालय परिसर में फ्री वाई–फाई सुविधा उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति/निर्धन छात्र सहायताः

शासन ने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। छात्र–छात्राएँ कॉलेज नोटिस बोर्ड/महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखे। तथा फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु फार्म ऑन लाइन भरकर मूल निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की पास–बुक की फोटो कापी सहित दो प्रतियों में निर्धारित समय पर जमा करें। फीस में छूट के लिए छात्र/छात्रा अपने माता–पिता का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

प्रवेश हेतु सामान्य नियम

1.इण्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु संस्तुत किया जायेगा।

2.इण्टर परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को एक अतिरिक्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधायक द्वारा प्रदत्त हो, प्रस्तुत करना होगा। महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र स्वीकार्य नही किया जाएगा।

3.प्रतिवर्ष के अन्तराल हेतु 02 अंक घटाकर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। अन्तराल तभी मान्य होगा जब इस सम्बन्ध में
दिए गए साक्ष्यों एवं तथ्यों से प्रवेश समिति संतुष्ट होगी। ऐसे अन्तराल वाले अभ्यर्थी को सादा कागज पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. इण्टर के बाद तीन वर्ष से अधिक अन्तराल वाले अभ्यर्थी को बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

5.विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

6.बी.कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश उन छात्र/छात्रों को दिये जोयेगे जिन्होने इण्टर (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त स्वीकृत सीटों के सापेक्ष यदि कुछ सीटें रिक्त रह जाती है तो शेष सीटों पर अन्य वर्ग (गणित सहित) एवं गणित के छात्र उपलब्ध न होने पर अर्थशास्त्र विषय से इण्टर से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रवेश स्वीकृत किये जायेगे।

7. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हो। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र/छात्राओं के स्नातक के तीन वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा छोड कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलिति करतें हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

8. परास्नातक स्तर के समस्त विषय में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थिओं (जिनका जाति प्रत्राण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए नियमानुसार 5 % अंकों की छूट होगी। विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली में जहॉ–जहॉ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उन में कोई शिथिलिता प्रदान नहीं की जायेगी। अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45% अंक मान्य है, तो 44.9% अकं मान्य नहीं होगा।

9. एम.ए. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन–स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी। नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत चित्रकला, गृहविज्ञान,मनोविज्ञान अदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाण्ज्यि, विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे।

10. प्राचार्य को किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र अथवा प्रवेश बिना कारण बताए रोकने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। प्रवेश संस्तुति प्रवेश समिति द्वारा की जायेगी।

11. ऐसा प्रवेशार्थी जिसका आचरण असन्तोषजनक/संदिग्ध रहा है उसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, चाहे व किसी भी कक्षा का प्रवेशार्थी हो।

12. प्रवेश के समय अनुशासनहीनता करते पाए गए प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13. अनुशानहीनता के लिए दण्डित किए गए प्रवेशार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होगे।

14. अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़े गए प्रवेशार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होगें।

15. यदि प्रवेशार्थी के विरूद्ध अभियोग चल रहा है/चल चुका है/ अभियोग प्रारम्भ हुआ है/अभियोग पर दण्ड मिला है, तो प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।

16. किसी भी असत्य सूचना का भेद खुलने पर प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

17. प्रवेश आवेदन पत्र भरने मात्र से कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। प्रवेश समिति द्वारा संस्तुत प्रवेश को स्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य का है और प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
18. प्रवेशार्थी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक सभी अंक पत्रों, टी. सी., चरित्र प्रमाण पत्र आदि में उसके तथा उसके माता–पिता के नाम में अन्तर को, जन्मतिथि के अन्तर को शुद्ध न कर लिया गया हो।
19. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
20. उत्तर प्रदेश शासन की राजाज्ञा 23 68/15.10.9415 (66)/89 दिनांक 20.7.94 के अनुसार पात्र प्रवेशार्थियों के लिए कुल स्थानों का आरक्षण निम्नवत् होगा।

(क) अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत	
(ख) अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत	लम्बवत्
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत	
(घ) विकलांग	03 प्रतिशत	
(ड़) स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित	02 प्रतिशत	क्षैतिज
(च) पूर्व सैन्यकर्मी	01 प्रतिशत	

(छ) प्रदेश कें शासनानुदेश के सार सभी वर्ग में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

21. उत्तर प्रदेश के 18 फरवरी 2019 के शासनादेश के अनुसार प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।
नोटः– सामान्य वर्ग के आरक्षण में लाभ के लिये समुचित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/ प्रमाणित किया जायेगा तथा आरक्षण का लाभ लेने वाला प्रवेशार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो।

(i) श्रेणी घ के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के लिए डी. एम/एस.डी. एम./सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) श्रेणी घ तथा ड़ के अन्तर्गत विचार योग्य प्रवेशार्थी को श्रेणी क,ख,ग, का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(ii) यदि श्रेणी ख के अन्तर्गत सीट नही भरी जाती तो वह सीट श्रेणी (क) के पात्र प्रवेशार्थी को दी जायेगी।

(iv) यदि समायोग के बाद कोई सीट रिक्त रहती है तो वह नियामानुसार भरी जायेगी।
(22) प्रत्येक कक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित नियामानुसार होगी।

(23) पात्र प्रवेशार्थियों को मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे। प्रवेश के लिए बनाई गई मैरिट में अतिरिक्त भारांक के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(i)	एन.सी.सी. के सी प्रमाण पत्र के लिये	10 अंक
(ii)	एन.सी.सी. बी प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
(iii)	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में सेवारत या सेवानिवृत कर्मचारी के पुत्र / पुत्री/ पत्नी/पति के लिए	10 अंक

(iv) राष्ट्रीय अन्तर्विश्वविद्यालयी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिये और विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिये 05 अंक

(v) एन.एस.एस. प्रमाण पत्र धारक जिन्होने कम से कम 07 दिन की अवधि के दो कैम्प पूरे किये हों तथा 240 धण्टे एन .एस.एस. का कार्य किया हो। 10 अंक

(vi) एन.एस.एस प्रमाण पत्र धारक जिन्होने कम से कम 07 दिन की अवधि का एक कैम्प पूरा किया हो तथा 240 धण्टे एन .एस.एस. का कार्य किया हो। 05 अंक

(vii)विश्वविद्यालय नियमावली में उल्लिखित अन्य भारांक लाभ।

नोट : प्रवेशार्थी (i)से (vii)तक के अतिरिक्त भारांको में से अधिकतम 10 अंक के लाभ का हकदार होता है।

24. उत्तर प्रदेश से बाहर की संस्थाओं के प्रवेशार्थियों को 10: से अधिक स्थान नही दिये जायेंगे।
25. विश्वविद्यालय /शासन से जो प्रवेश प्रक्रिया तिथिवार घोषित होगी, उसी तिथि क्रम से प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित होगी। अन्तिम प्रवेश तिथि के बाद कोई भी प्रवेश नही होगा।
26. दूसरे महाविद्यालय से इस महाविद्यालय में स्थानान्तरण नही होगा। एक संकाय से दूसरे संकाय में स्थानान्तरण नही होगा।
27. प्रवेश आवेदन पत्र डाक अथवा कोरियर से स्वीकार नही किये जायेंगे।
28. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अपने प्राप्तांक एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया–प्रति संलग्न करनी होगी। आरक्षित श्रेणी के लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। साक्षात्कार के समय अंकपत्र, प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति दिखानी होगी। प्रवेश के समय टी. सी. एव चरित्र प्रमाण पत्र को मूल रुप से प्रस्तुत करना होगा। टी. सी के अभाव में प्रवेश नहीं होगा।
29. प्रवेश सम्बन्धी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। प्रवेश संस्तुत/स्वीकृत होने पर देय शुल्क धनराशि महाविद्यालय की वेबसाइट पर आनलाइन जमा करे अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। एक बार शुल्क जमा होने पर किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी सम्भव नहीं होगी, शुल्क तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त हो जायेगा व सीट योग्यता सूची के अनुसार अन्य को दे दी जायेगी। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश वैद्य माना जायेगा।
30 वार्षिक शुल्क राशि सम्बन्धी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखें।
31. प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्रत्येक विषय में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए अन्यथा उसे विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
32. किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश या परीक्षा फार्म निरस्त किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।
33. माह जुलाई से जून तक का शुल्क प्रवेश के समय ही ले लिया जायेगा। शासन अथवा विश्वविद्यालय के अनुसार शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।
34. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रपत्रों को पूर्ण कर निर्देशित तिथि तक महाविद्यालय की वेबसाइट पर आनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी अपने साथ सभी मूल अंक–पत्र, प्रमाण पत्र एवं अभिभावक को अनिवार्यत: साथ लायें।

35. बी. ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थी प्रवेश के समय विगत उत्तीर्ण कक्षा का मूल अंक पत्र साथ लाएं।

36. व्यक्तिगत परीक्षाओं के रुप में उत्तीर्ण छात्र को अगली कक्षा में नियमित प्रवेश नही दिया जायेगा।

37. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित नियमों जो यहाँ प्रकाशित नही है, की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर दी जायेगी ।

38. सेवारत अभ्यर्थी को किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तथ्य छिपाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

39. बी. ए. प्रथम वर्ष हेतु जिला बरेली के निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

40. समस्त सूचनाएँ नोटिस बोर्ड/वेबसाइट के माध्यम से दी जायेंगी।

छात्र/छात्राओं के लिए सामान्य नियमः–

1. महाविद्यालय परिसर में पूर्ण शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखें। महाविद्यालय के अनुशासन नियमों की अवहेलना करने वाले विद्यार्थी उचित दण्ड के भागी होंगे।

2. महाविद्यालय की महत्वपूर्ण सूचनाएँ सूचना पट पर लगायी जाती हैं। अतः विद्यार्थी को प्रतिदिन सूचना–पट देखते रहना चाहिए। यदि विद्यार्थी समयानुसार सूचना पट नहीं देखतें हैं और किसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते है, तो इसके पूर्ण उत्तरदायी विद्यार्थी स्वयं होंगे।

3. पाठ्यक्रम पाठ्य–पुस्तकों की जानकारी तथा शिक्षा हेतु विषय से सम्बन्धित प्राध्यापक से सम्पर्क करते रहें। पाठ्यक्रम की जानकारी परीक्षा फार्म के साथ भी संलग्न रहती है। नवीनतम पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। छात्रवृत्ति सबंधी जानकारी हेतु– www.scholorship.inc.in देखे।

4. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् अपना परिचय–पत्र हमेशा साथ लाएं।

5. विद्यार्थी अपने साथ ऐसे किसी व्यक्ति को न लाएं जिससे पठन–पाठन, अनुशासन एवं शान्ति में बाधा उत्पन्न हो।

6. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों को सुरक्षित रखें। पुस्तक या पत्रिका या समाचार पत्र को किसी प्रकार भी क्षति पहुँचाना निन्दनीय तथा दण्डनीय है। इसके लिये विद्यार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जायेगा और अपराध के लिये गुरूता के अनुसार उसकी पुस्तकालय सहायता भी समाप्त की जा सकती है।

7. अपनी साईकिल आदि वाहन को ताला लगाकर स्टैण्ड में खड़ा करें। वाहन की सुरक्षा करना स्वयं विद्यार्थी का उत्तरदायित्व है।

8. परिसर में पान–मसाला खाना, धूम्रपान करना या किसी प्रकार का नशा करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।

9. महाविद्यालय आपका है इसकी गरिमा बनाये रखना आपका उत्तरदायित्व है।

10. महाविद्यालय में मोबाइल फोन प्रतिबन्धित है।

11. महाविद्यालय एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। अतः सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट व महाविद्यालय का नोटिस बोर्ड/वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहे।

12. छात्र–छात्राएं निम्नांकित गणवेश में होने पर ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश पा सकेंगें।

महाविद्यालय गणवेश

सामान्य दिनों में

छात्रा–काली सलवार– काला दुपट्टा व चेक का कुर्ता
छात्र– चेक शर्ट व काली पेन्ट

सर्दी में अतिरिक्त

स्लेटी कार्डिगन या ब्लेजर
स्लेटी स्वेटर या ब्लेजर

SHIRT / KURTA

PANT / SALWAR

प्रोफेसर इकबाल हबीब
प्राचार्य

प्रवेश समिति

राजकीय महाविद्यालय, फरीदपुर बरेली

महाविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

प्रोफेसर इकबाल हबीब
प्राचार्य

प्राध्यापक मण्डल

हिन्दी विभाग	–	डॉ0 रवीन्द्र सिंह यादव
अंग्रेजी विभाग	–	रिक्त
संस्कृत विभाग	–	डॉ0 वेद प्रकाश
समाजशास्त्र विभाग	–	डॉ0 पूनम सक्सेना
अर्थशास्त्र विभाग	–	डॉ0 रतन लाल
राजनीति शास्त्र विभाग	–	रिक्त
गृह विज्ञान विभाग	–	रिक्त
शारीरिक शिक्षा विभाग	–	श्री अमित कुमार सिंह
पुस्तकालय विभाग	–	श्री अब्दुल कादिर

शिक्षणेत्तर कार्य मण्डल

वरिष्ठ लिपिक	–	पद रिक्त
कनिष्ठ लिपिक	–	1. श्री आसिफ
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	1. श्री राजकुमार 2. श्री अजयवीर सिंह 3. श्री हरिओम 4. पद रिक्त 5. पद रिक्त

महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रोफेसर इकबाल हबीब

प्राचार्य

प्राध्यापक मण्डल

हिन्दी विभाग	–	डॉ0 रवीन्द्र सिंह यादव
अंग्रेजी विभाग	–	रिक्त
संस्कृत विभाग	–	डॉ0 वेद प्रकाश
समाजशास्त्र विभाग	–	डॉ0 पूनम सक्सेना
अर्थशास्त्र विभाग	–	डॉ0 रतन लाल
राजनीति शास्त्र विभाग	–	रिक्त
गृह विज्ञान विभाग	–	रिक्त
शारीरिक शिक्षा विभाग	–	श्री अमित कुमार सिंह
पुस्तकालय विभाग	–	श्री अब्दुल कादिर

शिक्षणेत्तर कार्य मण्डल

वरिष्ठ लिपिक	–	पद रिक्त
कनिष्ठ लिपिक	–	2. श्री आसिफ
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	1. श्री राजकुमार
		2. श्री अजयवीर सिंह
		3. श्री हरिओम
		4. पद रिक्त
		5. पद रिक्त